राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–9) विभाग

क्रमांक प.20(2)गृह–9/12 पार्ट

जयपुर, दिनांक : 14 DEC 2017

अधिसूचना

राजस्थान अत्यावश्यक सेवाऐं अनुरक्षण अधिनियम, 1970 (1970 का राजस्थान अधिनियम संख्या 22) की धारा 2 की उप–धारा (1) के खण्ड (क) के उप–खण्ड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने समसंख्यांक अधिसूचना दिनांक 17.9.2017 के द्वारा राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की समस्त सेवाओं, कार्यालयों तथा उसके कार्यकलापों से सम्बद्ध समस्त सेवाओं को तीन माह के लिए आवश्यक सेवा घोषित किया था।

यतः राज्य सरकार की यह राय है कि राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की समस्त सेवाओं, कार्यालयों एवं उसके कियाकलापों से संबंधित समस्त सेवाओं में चिकित्सकों द्वारा सामूहिक अवकाश, हडताल व अन्य प्रकार से सेवाओं के प्रदाय नहीं किये जाने से सेवाओं के अनुरक्षण पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा और उसके परिणामस्वरूप जन समुदाय को भारी कठिनाई का सामना करना पडेगा।

अतः राजस्थान अत्यावश्यक सेवाऐं अनुरक्षण अधिनियम, 1970 (1970 का राजस्थान अधिनियम संख्या 22) की धारा 2 की उप–धारा (1) के खण्ड (क) के उप–खण्ड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की समस्त सेवाओं, कार्यालयों तथा उसके कार्यकलापों से सम्बद्ध समस्त सेवाओं को एतद्द्वारा दिनांक 17.12.2017 से आगामी तीन माह तक अत्यावश्यक सेवा घोषित करती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(चेतन देवड़ा)
शासन संयुक्त सचिव
गृह (आपदा प्रंबधन) विभाग

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री, राजस्थान जयपुर।
2. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
5. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
6. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
7. समस्त जिला कलक्टर्स एवं जिला मजिस्ट्रेट्स,/पुलिस आयुक्त राजस्थान।
8. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपायुक्त, राजस्थान।
9. समस्त महानिरीक्षक पुलिस रेंज राजस्थान।
10. निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
11. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, राजस्थान, जयपुर को दिनांक 14 DEC 2017 के राजपत्र में प्रकाशनार्थ।
12. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
13. वरिष्ठ उप शासन सचिव गृह ग्रुप–6 विभाग (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु)
14. रक्षित पत्रावली।

शासन संयुक्त सचिव
गृह (आपदा प्रंबधन) विभाग

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–9) विभाग

क्रमांक प.20(2)गृह–9/12 पार्ट   जयपुर, दिनांक : 14 DEC 2017

अधिसूचना

यतः राज्य सरकार ने अधिसूचना क्रमांक प.20(2)गृह–9/12 पार्ट, दिनांक 14.12.2017 द्वारा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीन समस्त कार्यालय एवं पदस्थापित चिकित्सकों तथा उसके कार्यकलापों से संबंधित समस्त सेवाओं को राजस्थान अत्यावश्यक सेवाऐं अनुरक्षण अधिनियम, 1970 के प्रयोजन के लिए आवश्यक सेवा घोषित कर दिया है।

अतः राजस्थान अत्यावश्यक सेवाऐं अनुरक्षण अधिनियम, 1970 (1970 का राजस्थान अधिनियम संख्या 22) की धारा 3 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार तुरन्त प्रभाव से राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की समस्त सेवाओं, कार्यालयों एवं उसके कार्यकलापों से संबंधित समस्त सेवाओं में सामुहिक अवकाश लेने, हड़ताल पर जाने या अन्य प्रकार से सेवाओं के प्रदाय में व्यवधान किये जाने को एतद्द्वारा 17.12.2017 से आगे बढाकर आगामी तीन माह तक के लिये प्रतिषेध करती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(चेतन देवड़ा)
शासन संयुक्त सचिव
गृह (आपदा प्रबंधन) विभाग

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री, राजस्थान जयपुर।
2. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
5. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
6. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
7. समस्त जिला कलक्टर्स एवं जिला मजिस्ट्रेट्स,/पुलिस आयुक्त राजस्थान।
8. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपायुक्त, राजस्थान।
9. समस्त महानिरीक्षक पुलिस रेंज राजस्थान।
10. निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर। 14 DEC 2017
11. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, राजस्थान, जयपुर को दिनांक .... के राजपत्र में प्रकाशनार्थ।
12. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
13. वरिष्ठ उप शासन सचिव गृह ग्रुप–6 विभाग (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु)
14. रक्षित पत्रावली।

शासन संयुक्त सचिव
गृह (आपदा प्रबंधन) विभाग